संख्या-1/2019/354/96-आयुष-1-2019-383/2018

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवाएं ,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 जनवरी, 2019

विषय- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के 07 विधान सभा क्षेत्रों में 04 शैयायुक्त चिकित्सालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-578/364/योजना/2018-19, दिनांक 01-01-2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित 07 विधान सभा क्षेत्रों में से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित 06 विधान सभा क्षेत्रों (जिनमें भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया है) में 04 शैयया चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 08-07-2018 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कुल धनराशि रू0 130.92 लाख (धनराशि रू0 एक करोड़ तीस लाख बानवे हजार मात्र) (प्रति चिकित्सालय हेतु धनराशि रू0 21.82 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210-**चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **02-**ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, **110-** अस्पताल तथा औषधालय, **04-**राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, **0401**-अनवासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) के मानक मद **24-**वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 79.00 लाख वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 के अन्तर्गत निम्नवत एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-:

क्र0सं0	**जनपद**	**स्थान**	**चिकित्सालय का प्रकार**	**निर्माण मानक**	**आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि**	**परिव्यय**
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	कज्जाकपुरा	04 शैयया	21.82 लाख	15.00 लाख	23.00 लाख
2	फतेहपुर	साहिली	04 शैयया	21.82 लाख	11.00 लाख	22.05 लाख
3	फतेहपुर	गम्हरी	04 शैयया	21.82 लाख	11.00 लाख	22.05 लाख
4	उन्नाव	खोखापुर	04 शैयया	21.82 लाख	15.00 लाख	41.94 लाख
5	औरैया	जसवंतपुर	04 शैयया	21.82 लाख	12.00 लाख	12.00 लाख
6	बरेली	सबरहा	04 शैयया	21.82 लाख	15.00 लाख	107.7 लाख
योग					79.00 लाख	

(1) निदेशक द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।

(3) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डाक घर/बचत खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210-** चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **02-**ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, **110-** अस्पताल तथा औषधालय, **04-**राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, **0401**-अनवासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) के मानक मद **24-**वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1/2019/354(1)/96-आयुष-1-19, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी- वाराणसी/फतेहपुर/उन्नाव/औरैया/बरेली।
(4) कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी- वाराणसी/फतेहपुर/उन्नाव/औरैया/बरेली।
(5) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) प्रभारी अधिकारी, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकपेड) (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक आयुर्वेद सेवायें।
(8) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in